जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 09.11.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी 02 ई-रिक्शा व ₹ 45,460 /- रूपये की नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.11.2024 को वादी श्री शहजाद पुत्र एजाज बेग निवासी ग्राम मुबारकपुर खोशा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी की दिनांक 05.11.2024 को अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की ईरिक्शा रजिस्ट्रेशन नं0 UP20BT4850 सीएचसी किरतपुर के सामने से चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 412/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्त नफीस पुत्र रहीश निवासी ग्राम दूधली थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

दिनांक 08.11.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नफीस पुत्र रहीश निवासी ग्राम दूधली थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन नं0 UP20AT8736 सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 45,460 /- रूपये नगद बरामद हुये । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

चोरी की ई-रिक्शा एवं बरामद रूपयों के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त ने उपरोक्त घटना से अलग ने एक अन्य ई-रिक्शा करीब 3½ महीना पहले बिजनौर में रोड़वेज बस स्टैण्ड के सामने से चोरी की थी, जिसे इसने मोहिद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम मैमनपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को कुछ दिन पहले 70 हजार रूपये में बेचना तय किया था। जिसके बारे में इसने मोहिद को पहले ही बता दिया था कि यह ई-रिक्शा इसने बिजनौर बस स्टैण्ड से चोरी की है, इसलिये रिक्शा को 70,000 /- रूपये में बेच रहा था। मोहिद ने नफीस को 3-4 दिन पहले ही 45460 /- रूपये नगद दे गये थे बाकी पैसे आज देने तथा चोरी किया ई-रिक्शा ले जाने के लिये कहा था।

थाना कोतवाली शहर क्षेत्र से चोरी हुई ई-रिक्शा रजि0 नं0 UP20BT4850 को अभियुक्त नफीस की निशादेही पर बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर पूर्व से ही मु0अ0सं0 714/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना किरतपुर व थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत अभियोगों में सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त मोहिद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मैमनपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

बरामदगी –

02 ई-रिक्शा UP20BT4850 व UP20BT4850 (कीमत करीब 02 लाख रुपये)

₹ 45,460 /- नकद

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नफीस पुत्र रहीस निवासी ग्राम दूधली थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

अनावरित अभियोगों का विवरण –

मु0अ0सं0 412/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 714/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री अर्जुन तोमर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 1947 सोनू सहगल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

4.कां0 1780 सचिन पंवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर